फर्द अहकाम

प्रार्थी की ओर से श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा आर.टी.एक्ट 212 के तहत प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी,शपथ पत्र, का अवलोकन किया गया। प्रार्थी वकील की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के संबंध मे बहस भी सुनी गई। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगणो के पक्ष मे प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगणो को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम पहाडी तहसील टोडाभीम स्थित खसरा 2001 रकबा 0.35 है0, 2254 रकबा 0.62 है0, 2256 रकबा 0.31 है0, 2283 रकबा 0.55 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.83 है0 का 1/3 मे मौके की यथास्थिति, आगामी तिथि तक बनाए रखे। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी कर तलब करे। पत्रावली दिनांक— 09.08.2018 को पेश हो।

2541-44
5/7/18

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

9.8.18 प्रार्थी वकील उप०। अप्रार्थीगण की ओर से श्री हरकेश मीना AAV ने वकालतनामा पेश किया बाबत जवाब पेश होने दि० 7.9.18 को पेश हो।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

7.9.18 वकील उप०। जवाब पेश होने दि० 8.10.18 को पेश हो।

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

8.10.18 [illegible] पुनः पेश [illegible] 26.10.18

26.10.18 [illegible] दि० 26.11.18 को पेश हो।

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जि

दिनांक	फर्द अहकाम
21-1-19	प्रार्थी वकील उप० / अप्रार्थी वकील उप० नहीं। कोई भी आवाज दिलवाई गई फिर भी वकील अप्रार्थी एवं अप्रार्थी मे से कोई भी उपस्थित नहीं है अत: अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है वास्ते बहस दि० 14.2.19 को पेश हो।
14.2.19	पत्रावली पेश हुई। [illegible] की ओर से [illegible] स्थगन [illegible] गया है। तदनुसार दिनांक 14.3.19 को पेश हो।
14.3.19	[illegible] पीठासीन अधिकारी [illegible] से अवकाश पर है। अतः पत्रावली [illegible] दिनांक 22.4.19 को पेश हो।
22.4.19	प्रार्थी वकील उप०/ बहस हेतु समय चाहा दिया जाता/ वास्ते बहस दि० 11.6.19 को पेश हो।
11.6.19	प्रार्थी वकील उप०/ बहस हेतु समय चाहा/ दिया जाता/ वास्ते बहस दिनांक 24.6.19 को पेश हो।
24.6.19	[illegible] पीठासीन अधिकारी [illegible] पर है। अतः पत्रावली [illegible] दिनांक 25.7.19 को पेश हो।
25.7.19	प्रार्थी वकील उप० / तदनुसार वास्ते बहस दिनांक 5-8-19 को पेश हो।
5-8-19	प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थीगण के पिता [illegible] के नाम से दर्ज है. प्रार्थीगण के वकील श्री [illegible]

Scanned by CamScanner

भूमि मे खातेदार हो. अभी नामांतरण नहीं खुला है इसलिए
यह प्रार्थना पत्र को विड्रा करने की इजाजत देते हुए खारिज
कर दिया जावे। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी वकील को सुना गया।
वर्णित भूमि की खातेदारी अभी उनके पिता के नाम ही है
ऐसा प्रार्थी वकील का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए यह
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विड्रा करने की अनुमति के
साथ प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज
किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दावा पत्रावली
के साथ संलग्न रहे।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)